


417  
2022

डाका  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
24/01/24 नं० 15 तहसील कार

नंबर व तारीख अहकाम  
जो इस हुकम की  
तामील में जारी हुए

27/01/24 पत्रावली कास्ते निर्णय/आदेश पेश  
हुई। वकल पूर्व में सुनी जा चुकी थी  
वकील कादी को सुना गया था। पत्रावली  
के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया  
गया। काफ़ेस में मुख्य विन्दू ~~खालेफार~~  
खालेफार राहुल पुत्र गोकुल सिंह के  
स्थान पर पुरणमल पुत्र गोकुल सिंह  
पुस्त कराने का ही राजस्व रिकार्ड में  
विरास्त से ही राहुल नाम दर्ज होकर  
चला आ रहा है एक भाग से भी  
खालेफारी राहुल के नाम दर्ज होकर  
चली आई है प्रकरण में इस स्तर  
पुस्त कराना उचित प्रतीत नहीं  
होता है अतः कादी साबित नहीं  
होने से खारीज किया जाता है पत्रावली  
केसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर  
रफ़्तार दाखिल है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज)

